

प्रेस-विज्ञप्तिजनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत कुल 33 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही, 07 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन पर जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 28.09.2023 को कुल 33 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के 07 अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आज 06 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है तथा पूर्व में 04 अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

थाना- देवगांवमु0अ0सं0 444/2023 धारा 3 (1) UP गैंगेस्टर एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।

1. सोनू जायसवाल पुत्र सुनील जायसवाल निवासी नन्दापुर थाना देवगांव आजमगढ़
2. बाले सोनकर पुत्र अच्छेलाल सोनकर निवासी कस्बा देवगांव थाना देवगांव आजमगढ़
3. कुन्दन पुत्र दशरथ निवासी चोलापुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी
4. फतेह बहादुर पुत्र शिवराज निवासी जोगापट्टी नन्दापुर थाना देवगांव आजमगढ़
5. रवि प्रकाश पुत्र राजबहादुर निवासी मसीरपुर थाना देवगांव आजमगढ़
6. सुनीता यादव पत्नी राजेश यादव निवासी चेवार गोवर्धनपुर थाना देवगांव आजमगढ़
7. सुनीता जायसवाल पत्नी सुनील जायसवाल निवासी नन्दापुर थाना देवगांव आजमगढ़
8. अफरोज पुत्र कमालुद्दीन निवासी कस्बा देवगांव थाना देवगांव आजमगढ़
9. शेरू उर्फ नीरज यादव पुत्र राजेश यादव निवासी चेवार थाना देवगांव आजमगढ़
10. महेश सोनकर पुत्र छोटेलाल सोनकर निवासी कटघर लालगंज गोलाबाजार थाना देवगांव आजमगढ़

➡ इस गिरोह के सभी सदस्य के शातिर किस्म के अपराधी है इनके द्वारा पूर्व में दिनांक 23.01.23 सतेन्द्र कुमार सिंह पुत्र पारसनाथ सिंह निवासी मानिकपुर थाना देवगांव आजमगढ़ के घर में गेट का ताला तोड़ कर सोने व चाँदी के गहने, पचास हजार नगद व अन्य सामान चोरी होने पर चोरी कर लिया गया। जिसकी बरामदगी गिरफ्तारी सहित की गयी थी।

**नोट-** अभियुक्तगण रवि प्रकाश पुत्र राजबहादुर निवासी मसीरपुर थाना देवगांव आजमगढ़ व फतेह बहादुर पुत्र शिवराज निवासी जोगापट्टी नन्दापुर थाना देवगांव आजमगढ़ पूर्व से जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध है तथा अभियुक्तगण शेरू उर्फ नीरज यादव पुत्र राजेश यादव निवासी चेवार थाना देवगांव आजमगढ़ व सुनीता यादव पत्नी राजेश यादव निवासी चेवार गोवर्धनपुर थाना देवगांव आजमगढ़ आज दिनांक 28.09.2023 को प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह द्वारा समय 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया ।

थाना कन्धरापुर:मु0अ0सं0 278/2023 धारा 3(1) UP गैंगेस्टर एक्ट, थाना कंधरापुर, आजमगढ़ ।

1. रामचेत निषाद पुत्र स्व0 मोती निषाद निवासी ग्राम भोरामकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. अहमद उर्फ शेरू पुत्र सोहराब अहमद ग्राम नसीरपुर थाना विलरियागंज जनपद आजमगढ़ 3. मो0 आरिफ पुत्र युनुस ग्राम सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
4. विरेन्द्र निषाद पुत्र रामचेत निषाद ग्राम भोरामकबुलपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़
5. इन्दल निषाद पुत्र रामचेत निषाद ग्राम भोरामकबुलपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़
6. गीता निषाद पत्नी रामचेत निषाद ग्राम भोरामकबुलपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत है।

➡ अभियुक्तों द्वारा गोवध/पशु क्रूरता की घटना कारित की गयी है। आज दिनांक- 28.09.2023 को अभियुक्त 1. रामचेत निषाद 2. अहमद उर्फ शेरू पुत्र शोहराब अहमद 3. गीता निषाद पत्नी रामचेत निषाद को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।

### थाना बिलरियागंज:-

मु0अ0सं0 343/23 धारा 3(1) UP गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

- 1.सलमान पुत्र नसीम निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- 2- इब्रान पुत्र इलियास निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- 3.जमशेद पुत्र अब्दुल कयूम निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- 4.अजमतुल्ला पुत्र आलमगीर निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

➡ इस गिरोह के सभी सदस्य के शातिर किस्म के अपराधी है, उपरोक्त गिरोह द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पूर्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर चोरी के सामान की बरामदगी की गयी थी।

### थाना- मुबारकपुर:-

मु.अ.सं. 468/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

1. सलीम नट पुत्र जलील अहमद निवासी मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ (गैंग लीडर)
2. मो0 अली पुत्र जलील अहमद सा0 मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ
3. सुरेन्द्र यादव पुत्र रामसनेही यादव सा0 मोईनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. सन्दीप गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता पुत्र पकडू गुप्ता उर्फ श्यामनरायण गुप्ता सा0 करीमाबाद (मोहम्मदपुर बाबूपुर) थाना कोपागंज जनपद मऊ

➡ इस गिरोह द्वारा वाहन मे गोवंश पशुओ को क्रूरता पूर्वक लादकर जनपद मे व अन्य सीमावर्ती जनपदों मे गो तश्करी का कार्य करते है। थाना क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम मोइनाबाद मे पीकअप पर तीन राशि गोवंश पशुओं को क्रूरता पूर्वक लाद कर वध करने हेतु ले जा रहे थे कि वाहन सहित यू0पी0 54 टी0 1917 गिरफ्तार किया गया था ।

➡ अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र रामसनेही यादव सा0 मोईनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को शहीद नगर से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा .315 बोर व एक कारतूस .315 बोर बरामद हुआ

### थाना फूलपुर:-

मु0अ0सं0 436/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

1. तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर सा0 मुडियार थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़
2. बैदुल्ला उर्फ बरतुल्लाह उर्फ राजू उर्फ लगड़ा पुत्र मुस्ताक अहमद सा0 कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर आजमगढ़
- 3.इब्राहिम उर्फ काने खाँ पुत्र मशुरुर सा0 मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़
- 4.कलीम पुत्र जहीर सा0 मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

➡ इस गिरोह द्वारा चोरी, वाहन चोरी, गोवध सम्बन्धी व अन्य विभिन्न श्रेणी के जघन्य अपराध कारित किया गया है।

### थाना कोतवाली

मु0अ0सं0 557/23 धारा 3(1) UP गैंगेस्टर एक्ट, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

- 1.मो0 आरिफ पुत्र अब्दुल हाकिम उर्फ अबू हाकिम निवासी पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- 2- सलमान अंसारी पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद वर्तमान पता 288 पहाड़पुर शिब्ली कालोज के सामने थाना कोतवाली आजमगढ़ स्थायी पता 63/75 दोदीपुर थाना कोतवाली जनपद प्रयागराज
3. हेना पत्नी सलमान अंसारी पता उपरोक्त

➡ उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा गिरोह बनाकर जालसाजी, धोखाधड़ी करके फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके सम्पत्ति हड़पने जैसी आपराधिक घटनाएं कारित की गयी है।

➡आज दिनांक- 28.09.2023 को अभियुक्त सलमान अंसारी उपरोक्त को शिब्ली गेट के पास से समय 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया है।

### थाना तरवां:-

मु0अ0सं0 265/23 धारा 3(1) UP गैंगेस्टर एक्टथाना तरवा जनपद आजमगढ़

1. राजू गुप्ता पुत्र त्रिवेणी गुप्ता उर्फ झिंगारी निवासी ग्राम पल्हना थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. त्रिवेणी गुप्ता उर्फ झिंगारी पुत्र मद्दी गुप्ता निवासी ग्राम पल्हना थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

➡ इस गिरोह का मुख्य पेशा अवैध गांजा तस्करी करना है, थाना स्थानीय अंतर्गत चेकिंग के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से तीन बोरी में 40 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था, उपरोक्त अभियुक्त वर्तमान में जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध है।

थाना- फूलपुर

प्रतिबंधित मांस व मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 27.09.2023 को उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुडियार ईदगाह के पास एक मोटरसाइकिल रोका गया तथा सवार ब्यक्तियों का नाम साजिद पुत्र अबु सालिम उम्र 19 वर्ष तथा सादिक पुत्र अबुसालिम निवासीगण तोंवा थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष का पिट्टू बैग को मौके पर खोलकर देखा गया तो उसमें प्रतिबंधित मांस रखा पाया गया जिनको जुर्म धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 2.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान मा0 न्या0 किया गया।

**सम्बन्धित अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 434/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना फूलपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. साजिद पुत्र अबु सालिम निवासी तोंवा थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

2- सादिक पुत्र अबुसालिम निवासी तोंवा थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

**बरामदगी-** 25 किग्रा0 प्रतिबंधित मांस व मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर UP 50 AU 4463

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

1-उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना- फूलपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गोतस्कर गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 21.09.2023 को वादी मुकदमा प्र0नि0 गजानन्द चौबे थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा 110 किग्रा0 प्रतिबंधित मांस व चार चापड़ नाजायज व एक लकड़ी का ठीहा व गिरफ्तारी 03 नफर अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 3/5/8(1) गोवध निवारण अधि0 व 4/25 आयुध अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 421/23 धारा 3/5/8(1) गोवध निवारण अधि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 अशोक कुमार मौर्य को सुपुर्द की गयी।

2-गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 27.09.2023 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शमशाद पुत्र जुलफेकार साकिन नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को पलिया पुलिया से समय 20-30 बजे हिरासत पुलिस हिरासत पुलिस में लिया गया तथा उसके कब्जे से एक 315 बोर कट्टा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 436/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान माननीय न्या0 किया गया।

**सम्बन्धित अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 421/23 धारा 3/5/8(1) गोवध निवारण अधिनियम थाना फूलपुर आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 436/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-शमशाद पुत्र जुलफेकार साकिन नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़**

1. मु0अ0सं0 421/23 धारा 3/5/8(1) गोवध निवारण अधिनियम थाना फूलपुर आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 436/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. शमशाद पुत्र जुलफेकार साकिन नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

**बरामदगी-** 1. एक 315 बोर कट्टा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

1-उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

## थाना- फूलपुर

### चोरी गये 03 गैस सिलेण्डर व घटना प्रयुक्त टैम्पो, दो चाकू व चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 16-09-2023 को वादिनी मुकदमा अनामिका पुत्र स्व0कंसराज ग्राम शाहपुर पो0 अम्बारी ,थाना फूलपुर ,जिला आजमगढ़ के द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र पर दिया गया कि प्रार्थनी के नाम से गैस एजेन्सी लीलावती एच.पी.गैस सेण्टर अम्बारी आजमगढ़ का गोदाम माहुल रोड़ पर ग्राम झकहा पर है गोदाम प्रतिदिन की भाति दिनांक 15-09-2023 को शाम 6 बजे गोदाम इन्चार्ज अरविन्द गोदाम का ताला बन्द करके अपने घर चले गये रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा गोदाम का दरवाजा की कुन्डी तोडकर गोदान के अन्दर 37 बाटल भरा सलेण्डर उठा ले गये के क्रम में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 405/23 धारा 457/380 भादवि विरुद्ध अज्ञात पजीकृत क्रिया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 देवी प्रसाद मिश्रा के द्वारा कि जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 27.09.23 को उ0नि0 देवी प्रसाद मिश्रा मय हमराह द्वारा दुर्वाषा मोड़ ग्राम सदरपुर बरौली के पास ही एक बाईक पर बैठे दो व्यक्तियो एवं एक टैम्पो में सवार एक व्यक्ति को पकड लिया गया पकड़े गये ब्यक्ति का नाम 1-विशाल यादव पुत्र बड़ेलाल यादव साकिन ऊदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष (2) मोनू गौड़ पुत्र दयासागर साकिन माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष 3- पाँचू सोनकर पुत्र प्यारेलाल ग्राम माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को जुर्म धारा का बोध कराते हुए दिनांक 27-09-2023 को सदरपुर बरौली दुर्वाषा गेट के पास समय करीब 23.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. विशाल यादव पुत्र बड़ेलाल यादव साकिन ऊदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष
- 2- मोनू गौड़ पुत्र दयासागर साकिन माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष
- 3- पाँचू सोनकर पुत्र प्यारेलाल ग्राम माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

**बरामदगी-**

मु0अ0 सं0 405/23 चोरी गये 03 गैस सिलेण्डर व घटना में उपयुक्त एक टैम्पो

मु0अ0सं0 13/2021 में चोरी गयी एक मोटर साइकिल व दो चाकू बरामद

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 405/23 धारा 457/380/411/413/34 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 437/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

मु0अ0सं0 438/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-** विशाल यादव पुत्र बड़ेलाल यादव

मु0अ0सं0 13/21 धारा 379 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़

**अभियुक्त मोनू गौड़ पुत्र दयासागर व पाँचू सोनकर पुत्र प्यारेलाल उपरोक्त**

मु0अ0सं0 405/23 धारा 457/380/411/413/34 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 438/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम -**

1 उ0नि0 देवी प्रसाद मिश्रा व उ0नि0 श्री गौतम कुमार सरोज मय हमराह थाना फूलपुर, आजमगढ़।

## थाना -मेंहनाजपुर

### किशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 27.09.2023 को वादी मुकदमा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया की वादी की पुत्री उम्र 17 वर्ष कालेज से शिक्षा प्राप्त करके दिनांक 27-09-2023 को समय 01.30 बजे दोपहर को घर जा रही थी तभी ग्राम रामनगर के पास पहुँच कर नितिन पुत्र मंगनू यादव ग्राम बेला थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ ने मेरी पुत्री से अभद्र और अश्लील हरकते करते हुए हाथ पकड लिया। विपक्षी कई दिनों से हरकत कर रहा था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 211/23 धारा 354 (क) भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 हृदयानन्द द्वारा की जा रही है। गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 28.09.23 को उ0नि0 हृदयानन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नितिन पुत्र मंगनू यादव ग्राम बेला थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को सिधौना बाजार से समय करीब 11.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बाद गिरफ्तारी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-** 1- मु0अ0सं0 211/2023 धारा 354 (क) भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास :-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार अभियुक्त :-** 1- नितिन पुत्र मंगनू यादव ग्राम बेला थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम :-** 1. उ0नि0 हृदयानन्द मय हमराह थाना मेंहनाजपुर, आजमगढ़

**\*प्रेस-विज्ञप्ति\***

**\*गोवध, पशु तस्कर, आपराधिक तथा पशु चोरी से सम्बन्धित 05 गैंग पंजीकृत\***

दिनांक- 28.09.2023 को \*पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य\* द्वारा गोवध, पशु तस्कर, आपराधिक तथा पशु चोरी से सम्बन्धित 05 गैंग पंजीकरण कराया गया। जिसमें गोवध से (05+03) 08, पशु तस्कर से 03, आपराधिक (हत्या का प्रयास) से 04 तथा पशु चोरी में संलिप्त 03 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उपरोक्त गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है।

**►पंजीकृत गैंग का विवरण निम्नवत है-**

► 1- थाना गंभीरपुर: \*अभियुक्त ताबिस पुत्र सालिम निवासी इस्लामपुरा मंगरावा थाना गंभीरपुर, आजमगढ़\* जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए \*गोवध व गोमांस की तस्करी करने\* जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर \*‘‘सूचीबद्ध’’ (गोवध गैंग)\* किया गया है। इसका कोड नं0- \*‘‘डी- 198’’\* होगा।

\*जिसके सदस्य निम्नवत हैं-\*

1. इशितयाक पुत्र तैय्यब निवासी इस्लामपुरा मंगरावा थाना गंभीरपुर , आजमगढ़ ।
2. अबूफैज पुत्र मु0 यूसुफ निवासी इस्लामपुरा मंगरावा थाना गंभीरपुर , आजमगढ़ ।
3. अरमान पुत्र अलताफ निवासी इस्लामपुरा मंगरावा थाना गंभीरपुर , आजमगढ़ ।
4. समशीर पुत्र शाहआलम निवासी इस्लामपुरा मंगरावा थाना गंभीरपुर , आजमगढ़ ।

► 2- थाना रानी की सराय: \*अभियुक्त शबील अहमद पुत्र स्व0 रियाज अहमद निवासी रोवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़\* जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए \*पशु तस्करी करने\* जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर \*‘‘सूचीबद्ध’’ (पशु तस्कर गैंग)\* किया गया है। इसका कोड नं0- \*‘‘डी- 199’’\* होगा।

जिसके सदस्य निम्नवत हैं-

1. मो0 जिशान पुत्र शहाबुद्दीन निवासी जमदहां थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।
2. विनोद बरनवाल पुत्र प्रकाश बरनवाल निवासी शनिचर बाजार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

► 3- थाना दीदारगंज: \*अभियुक्त इम्तियाज पुत्र इद्रीश निवासी फुलेश थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़\* जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए \*गोवध करने\* जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर \*‘‘सूचीबद्ध’’ (गोवध गैंग)\* किया गया है। इसका कोड नं0- \*‘‘डी- 200’’\* होगा।

\*जिसके सदस्य निम्नवत हैं-\*

- 1- नौशाद पुत्र जौवाद निवासी कुशलगांव थाना जीयनपुर , आजमगढ़ ।
- 2- रेशमा पत्नी इम्तियाज निवासी फुलेश थाना दीदारगंज, आजमगढ़ ।

► 4- थाना कोतवाली: \*अभियुक्त अमित उपाध्याय उर्फ बाबा पुत्र जगदीश उपाध्याय निवासी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़\* जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए \*हत्या का प्रयास करने\* जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर \*‘‘सूचीबद्ध’’ (आपराधिक गैंग)\* किया गया है। इसका कोड नं0- \*‘‘डी- 201’’\* होगा।

जिसके सदस्य निम्नवत हैं-

1. क्षितिज कपूर पुत्र प्रदीप कुमार सिंह कपूर निवासी सदावर्ती थाना कोतवाली, आजमगढ़ ।
2. अवनिश यादव उर्फ पाण्डू पुत्र जीउत बंधन निवासी रैदोपुर थाना कोतवाली, आजमगढ़ ।
3. अनिमेश सिंह पुत्र सत्यप्रकाश सिंह निवासी रैदोपुर थाना कोतवाली , आजमगढ़।

➡ 5- थाना गंभीरपुर: \*अभियुक्त कमलेश पुत्र प्यारेलाल निवासी मुहम्मदपुर भीटिया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़\* जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए \*पशु चोरी कर बेचने व पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से हमला करने\* जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर \*‘‘सूचीबद्ध’’ (पशु चोर गैंग)\* किया गया है। इसका कोड नं0- \*‘‘डी- 202’’\* होगा।

\*जिसके सदस्य निम्नवत हैं-\*

- 1- सलमान अहमद पुत्र रिजवान अहमद निवासी मुहम्मदपुर भीटिया थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ ।
- 2- अबुल फैज उर्फ गब्बू पुत्र नन्हे निवासी मुहम्मदपुर भीटिया थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ ।